

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक— 690 /11-सी-FP/UP/Others/31275/2018, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 14 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त,
पीलीभीत।

विषय:— कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग सं०-62 पी०ए० के चैनेज 14.346 से 14.381 बाँयी पटरी पर ग्राम चरखौला, तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा सं०-568 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/31275/2018)

सन्दर्भ: भारत सरकार की पत्र सं०-8बी०-यू०पी०/०6/268/2022/एफ०सी०/268 दिनांक 05.04.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में अभिलेख आपके पत्रांक-2360/14-1, दिनांक 22.06.2023 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा लगायी आपत्तियों का निराकरण कर संलग्नक अपलोड नहीं किये गये हैं एवं बिन्दु सं०-3 के क्रम में CWLW के कम्मेन्ट्स अपलोड नहीं किये गये हैं।

अतः भारत सरकार द्वारा लगायी आपत्तियों का निराकरण कर संलग्नक सहित बिन्दु सं०-3 के क्रम में CWLW के कम्मेन्ट्स अपलोड भी अपलोड करने का कष्ट करें, ताकि विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— 690 /11-सी FP/UP/Others/31275/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत।
- 3- वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लि०,(एम०डी०) 35-ए, कमला नेहरू मार्ग, बरेली-243001

18

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

ई-मेल:- fdpilibhittr@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत
पत्रांक 2360/14-1 , पीलीभीत, दिनांक- 22/06/2023
(बनकटी रोड, पीलीभीत- 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय-

कार्योपरान्त स्वीकृत (Ex-post facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसंण्डा मार्ग संख्या 62 पी०ए० के चैनैज 14,346 से 14,381 बायीं पटरी पर ग्राम चरखीला तहसील-बीसलपुर जिला-पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या-568 में रिटेल आउटलेट /पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० संरक्षित के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्रांक- 8वीं/यू०पी०/०६/268/2022/एफ०सी०/०६ दिनांक- 05.04.2023 एवं एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-3214/11सी-FP/ UP/ Others/ 31275/ 2018 Date 06.04.2023 एवं प्रमाणीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 3854/15-1 दिनांक- 21.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सानुशोध अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रमाणीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत द्वारा अपने कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार कर दिया गया है।

अतः निराकरण के उपरान्त प्रस्ताव/अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
1	Names of authority/body which has granted permission for use of forestry land for Non forestry purpose without prior approval under FCA.	उक्त रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी ने अपने पत्र दिनांक-14.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि विषयक स्थल पर रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु श्री अवधनरेश पुत्र स्व० नरेश चन्द्र जायसवाल निवासी-बिलसंण्डा तहसील-बीसलपुर जिला-पीलीभीत को एल०ओ०आई० निर्गत की गई थी। उनके द्वारा ही रिटेल आउटलेट स्थापित करने की कार्यवाही की गई है, जिसके विरुद्ध वन विभाग द्वारा एच-2 केस 19/2017-18 बीसलपुर दिनांक-18.03.2018 जारी किया तथा रू०-20000.00 ई-3 संख्या-12/3502 दिनांक-24.01.2019 द्वारा बतौर जुर्माना भरा गया तथा केस प्रशान्त किया गया। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)
2	Action taken by the SFD against the officials for not being able to prevent use of forest land without approval of Central Govt.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये/ उल्लंघन किये जाने पर भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी के विरुद्ध रेंज केस संख्या-19/2017-18/बीसलपुर दिनांक-18.03.2018 द्वारा जारी किया गया तथा ई-3 संख्या-12/3502 दिनांक-24.01.2019 द्वारा रू०-20000.00 प्रति कर के रूप में जमा कर दिनांक-25.01.2019 को केस प्रशान्त किया गया तथा प्रकरण में दोषी श्री संजीव तिवारी, तत्कालीन उप क्षेत्रीय वनाधिकारी, बीसलपुर के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख/अन्य अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है।
3	Since area is part of Eco Sensitive Zone so comments of CWLW are required.	comments of CWLW के सम्बन्ध में वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत ने अपने पत्र संख्या-2175/14-1 दिनांक-30.05.2023 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को पत्र लिखा गया है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)
4	Corrupt kml file of CA area has been uploaded on portal which need to be rectified.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल (सी०ए० ऐरिया) की के०एम०एल० फाईल पुनः पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

IAc
राजेश्वर
15-7

कार्यालय
प्रमाणीय निदेशक वन एवं जलवायु प्रभाग, पीलीभीत
दिनांक:.....
आपकी सेवा.....

भवदीय,
(विजय सिंह)
वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,

नांक

/अ-दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव को वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की तीनों प्रतियां मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(विजय सिंह)

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,

पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।